

No. EDN-HE (21) F (1) 02/2023-CCRT-  
Directorate of School Education  
Himachal Pradesh, Shimla-1

Dated: Shimla-171001, the **June, 2025**

To

1. All the Deputy Director of Higher Education in Himachal Pradesh
2. All the Deputy Director of Elementary Education in Himachal Pradesh.

**Subject: - To depute 10 (Ten) In-Service School Teachers Training Programmes to be organized by CCRT New-Delhi during the year 2024-25.**

Please find enclosed herewith a copy of letter Number: CCRT/13011/01/2025/782 dated: 29.05.2025 received from Dr. Rahul Kumar, Deputy Director(Training), Centre for Cultural Resources and Training, Plot Number 15-A, Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075 on the subject cited above.

In this connection, it is to inform you that the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi is going to organize Five (05) Orientation Courses in line with NEP 2020 for in-service teachers during the month of June, 2025 to August 2025 and 10 teachers have been invited for each training programme.


You are, therefore hereby directed to depute one Lecturer/TGT from each district (**up to 52 years of age**) as mentioned below for participation in each training programme :-

Sr. No.	Duration of Orientation Course	District
1	09 July - 29 July 2025	1. 05 Lecturers one each from Distt. Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kullu and Kangra. 2. 05 TGTs one each from Distt. Mandi, Shimla, Solan, Sirmour and Una.
2	16 July - 05 August 2025	1. 05 Lecturers one each from Distt. Mandi, Shimla, Solan, Sirmour and Una. 2. 05 TGTs one each from Distt. Bilaspur, Chamba, Hamirpur, Kullu, Kangra.
3	24 July - 13 August 2025	1. 05 Lecturers one each from Distt. Bilaspur, Hamirpur, Kinnaur, L & S and Mandi. 2. 05 TGTs one each from Distt. Chamba, Kangra, Shimla, Sirmour and Una.
4	12 August - 02 September 2025	1. 05 Lecturers one each from Distt. Chamba, Kangra, Shimla, Sirmour and Una. 2. 05 TGTs one each from Distt. Bilaspur, Hamirpur, Kinnaur, L & S and Mandi.

If any teacher is unable to attend the above said training programme due to some unavoidable circumstances, a suitable teacher may be deputed to attend the above said programme so that the Training Programme does not remain unutilized and money may not go waste. The teachers who have already attended the same may not be deputed again. While deputing the employees it may be kept in mind that opportunity may be given to all the employees in rotation. The participation of your district is mandatory /compulsory in these training programmes.

**These orders may be implemented/obeyed in letter & spirit. If any Officer fails to obey the orders of higher authorities disciplinary proceedings will be initiated against him/her as warranted under CCS Rules.**

**KINDLY TREAT IT AS MOST URGENT.**


  
Additional Director (School)  
Himachal Pradesh

**June, 2025**

Endorsement No. Even, Dated: Shimla-1, the

**Copy for information to:**

- 1 Dr. Rahul Kumar, Deputy Director, Centre for Cultural Resources and Training, Plot Number 15-A, Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075 refer to their letter number referred above.
- ✓ 2 The Nodal Officer IT Cell, Directorate of School Education, H.P. Shimla-1 with the remarks to upload the same on the Department's website.
- 3 Guard file.

  
Additional Director (School)  
Himachal Pradesh

Directorate of School Education  
21 JUN 2025  
Himachal Pradesh, Shimla-171001



Ministry of Culture  
Government of India

18/6/25  
35



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र  
(सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान)

Centre for Cultural Resources and Training  
(Autonomous Organization under the Ministry of Culture, Govt. of India)

डॉ. राहुल कुमार

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011) 25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13011/01/2025/782

दिनांक: 29 मई, 2025

महोदय/महोदया,

यह पत्र दिनांक 24 मई, 2025 को निदेशक, सीसीआरटी द्वारा सचिव (शिक्षा) को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए पत्र संख्या CCRT/13011/1/2025 के संदर्भ में है, जिसकी मूल प्रति/स्वच्छ पत्र स्पीड पोस्ट दिनांक 26 मई, 2025 के द्वारा भी भेजा गया है एवं उसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित की गई है। उस पत्र के साथ जून 2025 से फरवरी 2026 की अवधि के दौरान आपके राज्य/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत समय-सारणी एवं पृष्ठभूमि नोट संलग्न थे।

सर्वप्रथम, मैं सीसीआरटी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में आपके किए गए प्रयास हेतु हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष हमें इस संदर्भ में अत्यंत उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, और आपके सहयोग से हम सीसीआरटी के दृष्टिकोण और मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। मुझे विश्वास है कि आप आगामी सीसीआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जो ऑफलाइन/कैम्पस मोड में आयोजित किए जाएंगे, हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में भी इसी प्रकार सहयोग प्रदान करेंगे।

मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि सीसीआरटी वर्षभर सेवारत शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

ये अनुस्थापन पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप प्रतिभागियों को समृद्ध कलात्मक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराते हैं। इनका उद्देश्य प्रतिभागियों में यह समझ विकसित करना है कि कैसे वे विभिन्न कलात्मक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को शिक्षा में सफलतापूर्वक समाहित व् आत्मसात कर सकें।

सीसीआरटी जून से अगस्त 2025 के दौरान सेवारत शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के अनुरूप पाँच (05) अनुस्थापन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से कक्षा VI से XII तक पढ़ाने वाले, 52 वर्ष तक की आयु के 10 (दस) सेवारत शिक्षकों को प्रत्येक अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करें। ये कार्यक्रम एनईपी 2020 के अनुरूप ऑन-कैम्पस मोड में आयोजित किए जाएंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	अनुस्थापन पाठ्यक्रम की अवधि	स्थल	प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या
1.	10 जून - 30 जून, 2025	सीसीआरटी, प्लॉट नं. 15-A, सेक्टर-07, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, फोन: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325), ईमेल: <a href="mailto:ddtrg.ccert@nic.in">ddtrg.ccert@nic.in</a>	10
2.	09 जुलाई - 29 जुलाई, 2025	सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, 1-118/CCRT, सर्वे नं. 64, गूगल ऑफिस के पास, माधापुर, हैदराबाद - 500084, तेलंगाना, फोन: 040-23111910, 23117050, ईमेल: <a href="mailto:rchyd.ccert@nic.in">rchyd.ccert@nic.in</a>	10
3.	16 जुलाई - 05 अगस्त, 2025	सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, गाँव - हवाला खुर्द, बड़गाँव, उदयपुर, राजस्थान - 313011, फोन: 0294-2430764, ईमेल: <a href="mailto:reud.ccert@nic.in">reud.ccert@nic.in</a>	10
4.	24 जुलाई - 13 अगस्त, 2025	श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजाबाड़ी, गुवाहाटी - 781037, असम, फोन: 0361-2335317, 0361-2330152, ईमेल: <a href="mailto:regwt.ccert@nic.in">regwt.ccert@nic.in</a>	10
5.	12 अगस्त - 02 सितंबर, 2025	सीसीआरटी, प्लॉट नं. 15-A, सेक्टर-07, द्वारका, नई दिल्ली - 110075, फोन: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325), ईमेल: <a href="mailto:ddtrg.ccert@nic.in">ddtrg.ccert@nic.in</a>	10

प्रतिभागियों के प्रशिक्षण और यात्रा भत्ता (टी.ए.) पर होने वाला व्यय सीसीआरटी द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग या संबंधित विद्यालय पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

Gem  
Sh. Armit  
18/6/25

...2/-



15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नयी दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300  
e-mail : [dir.ccert@nic.in](mailto:dir.ccert@nic.in) ; [director.ccert@nic.in](mailto:director.ccert@nic.in), website : [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।



उपर्युक्त अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के निमंत्रण पत्रों का एक संपूर्ण सेट इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जिससे आपको आवश्यक संख्या में उनकी फोटोकॉपी करवाकर नामित शिक्षकों के बीच वितरित करने में सुविधा होगी। चूंकि चयन पत्रों के साथ संलग्न परिशिष्ट (परिशिष्ट-I से VII) सभी कार्यक्रमों के लिए समान हैं, अतः हम उनकी केवल एक प्रति संलग्न कर रहे हैं।

### 1. शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए :

- शिक्षक की आयु अधिकतम 52 वर्ष होनी चाहिए (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।
- केवल वही शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएं जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 में से किसी एक या अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहे हों।
- शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय निम्नलिखित में से होने चाहिए:
  - i) सामाजिक अध्ययन (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि),
  - ii) भाषाएँ (हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, आधुनिक भारतीय भाषाएँ),
  - iii) विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आदि),
  - iv) गणित,
  - v) वाणिज्य,
  - vi) ललित कला, संगीत और चित्रकला।
- महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रतिनियुक्त शिक्षक को कम से कम दो वर्ष का शिक्षण अनुभव होना वांछनीय है।
- प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम एक शिक्षक को ही उपर्युक्त में से प्रत्येक अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए। एक ही विद्यालय के दो या अधिक शिक्षकों को किसी एक कोर्स में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. महत्वपूर्ण: कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित पदों पर कार्यरत शिक्षकों को प्रतिनियुक्त न किया जाए: प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/विद्यालय निरीक्षक तथा निम्नलिखित शिक्षक -

<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक।</li> <li>• वे शिक्षक जिन्होंने पहले सीसीआरटी का अनुस्थापन पाठ्यक्रम या जून से अगस्त 2024 के दौरान कोई अन्य सीसीआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया हो</li> <li>• योग, शारीरिक शिक्षा, एसयूपीडब्ल्यू (SUPW) पढ़ाने वाले शिक्षक</li> <li>• पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक एवं विशेष रूप से सक्षम शिक्षक (दृष्टिबाधित)</li> <li>• संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक</li> </ul>	प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएं
---	----------------------------

3. प्रशिक्षण स्थल पर महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग-अलग डॉर्मिटरी (छात्रावास) प्रकार की आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

आपका ध्यान कृपया आकर्षित किया जाता है:

यह निर्णय लिया गया है कि यदि आपके राज्य/संघ शासित प्रदेश से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के दौरान ऊपर उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उन प्रतिनियुक्त शिक्षकों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और उनकी रिपोर्टिंग के लिए यात्रा भत्ता (टीए) का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई लेखा परीक्षकों से किसी भी परिनिंदा से बचने के लिए की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिनियुक्त शिक्षकों को निर्देश दें कि वे अपने संबंधित अनुस्थापन पाठ्यक्रम के पहले दिन सुबह 09:00 बजे या उससे पहले सीधे प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित हों।

आपके विभाग द्वारा जारी किया गया प्रतिनियुक्ति आदेश, जो सीसीआरटी के नियमों का पालन करते हों, अंतिम आदेश माने जाएंगे और उसके बाद सीसीआरटी द्वारा उन शिक्षकों के लिए कोई अतिरिक्त आदेश जारी नहीं किया जाएगा। इन अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सूची कृपया ईमेल - ddtrg.ccrat@nic.in या स्पीड पोस्ट द्वारा जल्द से जल्द भेज दी जाए।

क्रम संख्या	अनुस्थापन पाठ्यक्रम की अवधि	स्थल	शिक्षकों की सूची सीसीआरटी, नई दिल्ली में प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या
1.	10 जून - 30 जून, 2025	नई दिल्ली	03 जून, 2025	10
2.	09 जुलाई - 29 जुलाई, 2025	हैदराबाद	02 जुलाई, 2025	10
3.	16 जुलाई - 05 अगस्त, 2025	उदयपुर	09 जुलाई, 2025	10
4.	24 जुलाई - 13 अगस्त, 2025	गुवाहाटी	17 जुलाई, 2025	10
5.	12 अगस्त - 02 सितंबर, 2025	नई दिल्ली	05 अगस्त, 2025	10

सीसीआरटी के पास सीमित आधारभूत संरचनाएँ हैं, अर्थात् छात्रावास आधारित आवास व्यवस्था और भोजन की सुविधा सीमित है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऊपर उल्लिखित तिथियों के अनुसार प्रतिनियुक्ति यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों के नाम पर भागीदारी के लिए विचार किया जाएगा जिनकी प्रतिनियुक्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त होगी, और उनकी सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) पर भी अपलोड कर दी जाएगी।


अतः अंतिम समय पर किसी असुविधा और शिक्षकों के लिए अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए, जैसे कि यदि उनका नाम वेबसाइट पर सूची में न हो और वे प्रशिक्षण स्थल पर पहुँच जाएं, कृपया प्रतिनियुक्त शिक्षकों को यह निर्देश दें कि वे सीसीआरटी की वेबसाइट देखें और किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए सीसीआरटी प्रशिक्षण इकाई/अनुभाग से संपर्क करें: 011-25088638 (एक्सटेंशन- 323, 324, 325)।

मैं इस अवसर पर आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश में सीसीआरटी की गतिविधियों में गहरी रुचि लेते आए हैं और आशा करता हूँ कि आप इन कार्यक्रमों के लिए भी सीसीआरटी के नियमों के अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में अपना समर्थन जारी रखेंगे।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

मोबाइल न. 9711749343

ई-मेल: [ddtrg.ccr@nic.in](mailto:ddtrg.ccr@nic.in)

संलग्नक:

- i) सभी 05 अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के चयन पत्रों का एक सेट, परिशिष्ट – VIII (स्वीकृति प्रपत्र)
- ii) परिशिष्ट – I से VII का एक सेट

निदेशक

उच्च शिक्षा निदेशालय

लाल पानी, शिमला-171001 हिमाचल प्रदेश

फोन नंबर- 0177-2653120/एक्सटेंशन.234, 2656621

फैक्स नंबर -0177-2812882, 2811247

ई-मेल: [dhe-sml-hp@gov.in](mailto:dhe-sml-hp@gov.in)

[genbr@rediffmail.com](mailto:genbr@rediffmail.com)



डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13011/02/2025

29 मई, 2025

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Centre for Cultural Resources and Training  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 10 जून से 30 जून, 2025 तक सीसीआरटी मुख्यालय, प्लॉट नं. 15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (दूरभाष: 011-25088638/एक्सटेंशन: 323/325, ईमेल: [ddtrg.ccrtr@nic.in](mailto:ddtrg.ccrtr@nic.in)) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 10 जून, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी मुख्यालय में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम

परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)

परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन

परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र

परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)

परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़

परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़

परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें - दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : [dir.ccrtr@nic.in](mailto:dir.ccrtr@nic.in) ; [director.ccrtr@nic.in](mailto:director.ccrtr@nic.in), website : [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 10 जून, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।

डॉ. राहुल कुमार  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13011/02/2025

29 मई, 2025

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Centre for Cultural Resources and Training  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 10 जून से 30 जून, 2025 तक सीसीआरटी मुख्यालय, प्लॉट नं. 15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (दूरभाष: 011-25088638/एक्सटेंशन: 323/325, ईमेल: [ddtrg.ccrtr@nic.in](mailto:ddtrg.ccrtr@nic.in)) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 10 जून, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी मुख्यालय में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें - दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : [dir.ccrtr@nic.in](mailto:dir.ccrtr@nic.in) ; [director.ccrtr@nic.in](mailto:director.ccrtr@nic.in), website : [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccr@nic.in](mailto:ddtrg.ccr@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

✓ प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 10 जून, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

  
(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



## स्वीकृति फॉर्म

तत्काल

समयबद्ध

03 जून, 2025 तक वापस भेजना अनिवार्य है।

टेलीफोन नंबर: (011) 25088638, एक्सटेंशन 323, 324, 325, 25309307

ई-मेल द्वारा प्रेषण: ddtrg.ccrt@nic.in

या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें।

निदेशक

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)

प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर 7

द्वारका, नई दिल्ली 110075

विषय: 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' नई दिल्ली में

महोदय,

मैं पत्र संख्या CCRT/13011/02/2025 दिनांक 28 मई, 2025 प्राप्त करने की पुष्टि करता/करती हूँ

मैं सीसीआरटी के 'एनईपी के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' जो 10 जून से 30 जून, 2025 तक नई दिल्ली के सीसीआरटी परिसर में आयोजित होगा उसमें भाग लूंगा/नहीं लूंगा \*मैं सीसीआरटी के छात्रावास में ठहरूंगा/नहीं ठहरूंगा \*\*।मैंने पहले कहीं भी सीसीआरटी के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया/नहीं लिया\*\*\* है। मैं अपने साथ वे पाठ्यपुस्तकें लाऊंगा/लाऊंगी (जो मैं पढ़ा रहा/रही हूँ), तैयार की हुई पाठ योजना जिसमें सांस्कृतिक तत्व शामिल हों, तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ लाऊंगा/लाऊंगी।

मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी भी दीर्घकालिक बीमारी/रोग से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(केवल जानकारी हेतु)	अध्यापक का नाम
प्रधानाचार्य का नाम .....	.....
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....	विद्यालय के सम्पूर्ण पत्राचार का पता
मोबाइल नंबर.....	.....
ईमेल आईडी .....	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश .....
	टेलीफोन नं. (विद्यालय).....
	टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....
	मोबाइल नंबर.....
	ईमेल आईडी .....

\*/\*\*/\*\*\* उपर्युक्त बॉक्स में जो लागू न हो, उसे काट दें (क्रॉस का निशान लगाएं)।



### अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें एवं नियम

- यदि आप संविदा/तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति पर हैं, तो कृपया इस पत्र को निरस्त मानें, क्योंकि केवल स्थायी/नियमित सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक ही अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने के पात्र हैं। प्रशिक्षण स्थल पर रिपोर्ट करने मात्र से कोई यात्रा भत्ता (TA) देय नहीं होगा।
- यदि आपने पूर्व में सीसीआरटी द्वारा आयोजित कोई अनुस्थापन पाठ्यक्रम दिल्ली या किसी अन्य क्षेत्र में किया है, तो कृपया इस पाठ्यक्रम में भाग न लें।
- केवल वे स्थायी/नियमित शिक्षक, जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं तथा जिनकी आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं है, इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबे प्रशिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि आप केवल तभी भाग लेंगे जब आपका स्वास्थ्य इसकी अनुमति देता हो। प्रतिभागियों को किसी गंभीर बीमारी या दृष्टिबाधा से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- यदि आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और केवल कक्षा 5वीं तक पढ़ा रहे हैं, तो कृपया इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग न लें, भले ही आपको सीसीआरटी द्वारा भूलवश आमंत्रित किया गया हो या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया गया हो।
- यदि आप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप-प्रधानाचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रयोगशाला सहायक हैं, या योग, एस.यू.पी.डब्ल्यू (SUPW), या शारीरिक शिक्षा पढ़ाते हैं, तो कृपया इस पाठ्यक्रम में भाग न लें।
- यह पाठ्यक्रम द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेज़ी) माध्यम में संचालित किया जाएगा, ताकि देश के विभिन्न भागों से आए शिक्षकों को विषय समझने में सुविधा हो। अतः अंग्रेज़ी भाषा की सामान्य समझ और कार्य-ज्ञान आवश्यक है। हालांकि, यदि आपकी अंग्रेज़ी धाराप्रवाह नहीं है तो भी आप भाग ले सकते हैं — ऐसे मामलों में विषय-वस्तु को समझाने में सहयोग किया जाएगा।
- यदि आप इस पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं, तो कृपया इस आमंत्रण पत्र को निरस्त एवं अमान्य मानें। यदि आप इसके बावजूद प्रशिक्षण हेतु आते हैं, तो न तो आपका पंजीकरण किया जाएगा और न ही सीसीआरटी द्वारा रिपोर्टिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता (टीए) प्रदान किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें

- आपकी इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम के लिए आपके चयन की सूचना आपके संबंधित राज्य शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई है, ताकि वे आपको समय पर कार्यमुक्त करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। आपकी समयबद्ध कार्यमुक्ति सुनिश्चित करने हेतु, इस पत्र की एक प्रति आपके प्रधानाचार्य को भी भेजी जा रही है। सीसीआरटी के लिए प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO), जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), प्रखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या विद्यालय निरीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है। अतः केवल राज्य शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है और यह व्यवस्था पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।



### कार्यक्रम के मॉड्यूल (विषय क्षेत्र)

1. **भारतीय कला और संस्कृति का सैद्धांतिक अध्ययन:** इसमें व्याख्यान और व्याख्यान प्रदर्शन होंगे, जिनके माध्यम से भारत की कलात्मक विरासत के विकास के मूलभूत पहलुओं का वर्णन किया जाएगा और क्षेत्रीय रूपों को उजागर किया जाएगा, जैसा कि NEP 2020 में अनुशंसित है। चूंकि प्रतिभागियों के विषय भिन्न-भिन्न हैं (जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक अध्ययन), इसलिए भाग लेने से पहले भारतीय इतिहास और उपमहाद्वीप के सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि का मूल ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. **व्यावहारिक प्रशिक्षण:** प्रतिभागियों को शिक्षण कौशल विकसित करने और विभिन्न शिल्प सीखने के अवसर दिए जाएंगे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मुखौटा बनाना, खिलौने बनाना, टाई-डाई, रंगोली, दीवार सजावट और जिल्दसाजी आदि। इसके साथ ही कक्षा में उपयोग के लिए नाट्य और कठपुतली तकनीकें, कहानी कहने की कला के माध्यम से पठन-पाठन को रोचक बनाना, माइम और मूवमेंट जैसी अभिनव विधियाँ भी सिखाई जाएंगी। स्लाइड प्रस्तुति, राष्ट्रीय गीत सीखना और योग के अभ्यास भी शामिल होंगे।
3. **शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की पद्धतियों पर परियोजनाओं की तैयारी:** पाठ योजना, परियोजनाओं, खेलों और अन्य प्रभावी शिक्षण उपकरणों की तैयारी के सत्र होंगे (देखें परिशिष्ट III)। ये सत्र NEP 2020 के अनुरूप कक्षा शिक्षण की पद्धतियों को विकसित करने और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाएंगे। मूल्यांकन के रोचक तरीके विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा।
4. **ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और प्राकृतिक पार्कों के भ्रमण:** स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के भ्रमण कराए जाएंगे। संग्रहालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ और कला प्रदर्शनियों का आयोजन होगा। प्रतिभागियों को कला और कलाकृतियों के संरक्षण की सरल तकनीकों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. **अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ:**
  - शिक्षकों को शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे कुछ कलात्मक परंपराओं की निरंतरता को समझ सकें और इस क्षेत्र में नवीनतम विकासों की सराहना कर सकें।
  - चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें आप शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का ज्ञान शिक्षा से जुड़े वर्तमान समस्याओं के समाधान में कैसे मदद कर सकता है।
6. **मूल्यांकन (Evaluation):** प्रतिभागियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन और अनुस्थापन पाठ्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के दौरान प्राप्त ज्ञान का आकलन करने के लिए नियमित सत्र आयोजित किए जाएंगे।

शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी और व्याख्यान की समझ को चर्चा और मूल्यांकन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों को अनुस्थापन पाठ्यक्रम का स्व मूल्यांकन करना होगा और इसके सुधार के सुझाव देने होंगे। इससे अनुस्थापन पाठ्यक्रम के दौरान दिए गए सैद्धांतिक ज्ञान की बेहतर समझ में सहायता मिलेगी।

कृपया आप निम्नलिखित सामग्री साथ लेकर आएं:

1. अपने राज्य/संघ शासित प्रदेश की जानकारी के साथ तैयार की गई पावर-पॉइंट प्रस्तुति, जिसमें जिले और तालुका के विशेष गुण, कला, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का वर्णन हो।
2. प्रमाणपत्र और परिशिष्ट III, VI और VII में उल्लिखित वस्तुएं, ताकि अन्य राज्यों के शिक्षक भी इससे समृद्ध और लाभान्वित हों।



### शैक्षिक किट और प्रकाशन :

अनुस्थापन पाठ्यक्रम के दौरान आपके कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा ताकि सीसीआरटी संबंधित स्कूलों/संस्थानों और राज्य शिक्षा विभागों को प्रतिभागियों की रुचि और योग्यता के बारे में रिपोर्ट भेज सके। इस मूल्यांकन के आधार पर, और उपलब्धता के अनुसार, आपके स्कूल को **सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन** निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। यह सामग्री केवल माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और DIET/ B.Ed कॉलेजों को दी जाएगी।

सांस्कृतिक शैक्षिक किट में ऑडियो और वीडियो CDs शामिल होती हैं। जिन स्कूलों/संस्थानों के पास सही स्थिति में VCD/DVD प्लेयर होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बदले में, CCRT द्वारा प्रशिक्षित प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्कूल/संस्थान के छात्रों और समुदाय के सदस्यों को देश की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराएगा, इसके लिए वे इस किट, प्रकाशनों और अनुस्थापन पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग करेंगे।

यदि आपके स्कूल/संस्थान को सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन दिए जाने हैं, तो कृपया परिशिष्ट IV में उल्लिखित आवश्यक प्रमाणपत्र साथ लेकर आएँ। प्रमाणपत्र आपके स्कूल/संस्थान के अलग-अलग लेटरहेड पर (दो प्रतियों में) और संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के मुहर और हस्ताक्षर के साथ पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए।

उपर्युक्त शैक्षिक किट का विद्यालय या संस्थान में उपयोग प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अतिरिक्त कार्यभार लेकर आता है। इसलिए, किट निम्नलिखित शर्तों के तहत ही प्रदान की जाती है:

- शिक्षक द्वारा अनुस्थापन पाठ्यक्रम में रुचि दिखाना आवश्यक है।
- शिक्षक की अनुस्थापन पाठ्यक्रम की नियमित उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है।

इस शैक्षिक किट के लिए उस विद्यालय/संस्थान द्वारा अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता जहाँ के शिक्षक को प्रशिक्षण दिया गया है।

### **महत्वपूर्ण**

सीसीआरटी पिछले 46 वर्षों से देश के सभी हिस्सों से आने वाले शिक्षकों को उनके पेशेवर विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। सीसीआरटी निरंतर इस सेवा को आगे बढ़ा रहा है ताकि सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत किया जा सके, क्योंकि हमारा मिशन और सपना है कि हर सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और DIET / B.Ed कॉलेजों को सीसीआरटी की शैक्षिक किट से लैस किया जाए। आर्थिक दबाव के धीरे-धीरे बढ़ने के कारण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, संस्कृति और शिक्षा के बीच सहजीवी संबंध की समझ को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों को यह महसूस कराना आवश्यक है कि प्रशिक्षण की एक कीमत होती है। इसलिए सीसीआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतीक नामक पुस्तक सभी प्रतिभागियों को उनके विद्यालय के लिए सब्सिडी के साथ और रियासती दर पर दी जाएगी। इस पुस्तक की छूट के बाद कीमत लगभग ₹ 245/- है और विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक के नाम एक मूल रसीद जारी की जाएगी। यह प्रकाशन हर प्रतिभागी शिक्षक/संस्थान के लिए अनिवार्य है। कृपया यदि आपकी जानकारी में कोई अन्य बेहतर खरीदार हों तो हमें सूचित करें। ये खरीदार विद्यालय/संस्थान/कॉलेज/संगठन कोई भी हो सकते हैं। यह प्रकाशन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था।



## सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशनों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र

विद्यालय के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

अनुस्थापन पाठ्यक्रम

नीचे उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र दो प्रतियों में और अलग-अलग संस्थानों के लेटरहेड पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस पत्र का उपयोग संयुक्त प्रमाणपत्र के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रमाणपत्र सीसीआरटी सांस्कृतिक शैक्षिक किट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

(निम्नलिखित प्रमाणपत्र सीसीआरटी की वेबसाइट [www.cbseindia.gov.in](http://www.cbseindia.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।)

नोट: ये प्रमाणपत्र उपयुक्त रूप से टाइप करके, हस्ताक्षरित होकर, प्रतिभागी शिक्षक के माध्यम से हमें वापस भेजे जाएं।

कृपया गलत/अनचाहे विकल्प को रेखांकित करते समय सावधान रहें।  
जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

कृपया प्रमाणपत्र 1 एवं 1A, 7 एवं 7A में से वही एक प्रमाणित करें जो आपके विद्यालय/संस्थान के लिए लागू हो। अन्य प्रमाणपत्रों को पूरी तरह से काट दें।

1. प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विद्यालय/संस्थान को सांस्कृतिक शैक्षिक किट सामग्री सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण (सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जा चुकी है। यह किट सीसीआरटी द्वारा वर्ष \_\_\_\_\_ में प्रदान की गई थी (जिस वर्ष विद्यालय/संस्थान को किट प्राप्त हुई थी)।  
(कृपया वही वर्ष भरें जब आपका विद्यालय/संस्थान पहले सीसीआरटी से किट प्राप्त कर चुका हो।)

1ए)\* प्रमाणित किया जाता है कि हमारे विद्यालय/संस्थान को सीसीआरटी द्वारा शैक्षिक किट प्रदान नहीं की गई है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही शिक्षक नियमित शिक्षक है और अनुस्थापन पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद भी विद्यालय में कार्य करता/करती रहेगा/रहेगी। वह अनुबंधित (कॉन्ट्रैक्टुअल) आधार पर कार्यरत नहीं है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक \_\_\_\_\_ जिसे अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के लिए भेजा गया है, विद्यालय/संस्थान की ओर से सीसीआरटी की सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। शिक्षक के हस्ताक्षर नीचे सत्यापित किए गए हैं।

प्रतिनिधि शिक्षक / व्याख्याता / शिक्षाविद् के हस्ताक्षर

(शिक्षक/व्याख्याता/शिक्षाविद् के हस्ताक्षर और नाम सत्यापित किए गए हैं)

(प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के हस्ताक्षर, नाम और मोहर)

4. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय/संस्थान द्वारा प्राप्त सामग्री को अच्छी कार्यसाधक स्थिति में रखा जाएगा।
5. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिभागी के लौटने के तुरंत बाद शैक्षिक किट की आवश्यक प्रविष्टियाँ विद्यालय/संस्थान के स्टॉक रजिस्टर में की जाएंगी और मैं, विद्यालय/संस्थान के प्रमुख के रूप में, स्टॉक रजिस्टर में उचित प्रविष्टि के बाद सामग्री के नियमित उपयोग की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करूंगा/करूंगी।
6. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय/संस्थान में कक्षा में किट के संचालन के लिए विद्युत् पॉइंट्स हैं/नहीं हैं\*।  
(\*अपना उपयुक्त विकल्प चुनें)।

7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय/संस्थान के पास निम्नलिखित सामग्री है

- a) वीडियो कैसेट प्लेयर / डीवीडी प्लेयर
- b) कंप्यूटर

और

कृपया केवल एक विकल्प चुनें।

7A)\* प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय/संस्थान के पास निम्नलिखित सामग्री नहीं है

- a) वीडियो कैसेट प्लेयर / डीवीडी प्लेयर
- b) कंप्यूटर

8. प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानाचार्य/विद्यालय/संस्थान के प्रमुख CCRT प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा निर्धारित समय पर CCRT को सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन सामग्री के उपयोग पर छमाही मूल्यांकन प्रपत्र जमा कराने की निगरानी करेंगे, जो विद्यार्थियों एवं समुदाय के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है।

9. प्रमाणित किया जाता है कि यदि CCRT प्रशिक्षित शिक्षक का विद्यालय/संस्थान से स्थानांतरण होता है, तो CCRT को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि विद्यालय/संस्थान के अन्य शिक्षक/व्याख्याता/शिक्षाविद् को CCRT के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा सके।

प्रधानाचार्य / प्राचार्य का नाम और हस्ताक्षर मोहर के साथ

\*जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

यह केवल एक नमूना प्रति है और इसे प्रमाणपत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस पत्र पर कोई भी सत्यापन या हस्ताक्षर CCRT में वैध नहीं माना जाएगा।

महत्वपूर्ण :

कृपया प्रमाणपत्र 1 एवं 1A तथा 7 एवं 7A में से केवल एक ही प्रमाणित करें।



सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र  
नई दिल्ली

संभारिकी(लॉजिस्टिक्स)

1. भोजन एवं आवास:

भोजन एवं आवास की व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो सभी प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि यह एक 'आवासीय तरीके' का प्रशिक्षण है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्रों का आयोजन सभागार में किया जाएगा। प्रतिभागी को सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रमों के दौरान कुछ वक्त के लिए प्रातः जल्दी एवं शाम को देर हो सकती है। सीसीआरटी द्वारा भोजन एवं आवास की व्यवस्था वाले स्थान पर किसी भी रिश्तेदार/परिवार के सदस्यों/अनुरक्षक नहीं ला सकते और किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम स्थल पर महिला शिक्षकों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई है।

2. यात्रा भत्ता:

1. सीसीआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक, जैसा भी मामला हो, सभी ट्रेनों के एसी 3-टियर/एसी चेयर कार/स्लीपर क्लास से सबसे छोटे मार्ग से यात्रा करने के हकदार हैं। टिकट का ज़ेरॉक्स जमा करना अनिवार्य है।
2. जो शिक्षक बस से यात्रा करते हैं, वे बस टिकट प्रस्तुत करने की शर्त पर ही डीलक्स बस किराए का दावा करने के हकदार हैं, अन्यथा किराया सामान्य बस किराए तक ही सीमित रहेगा। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे एसी बसों से यात्रा न करें।
3. स्थानीय सड़क यात्रा के लिए यानी स्कूल से रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड तक की प्रतिपूर्ति वास्तविक दूरी के अनुसार या 8 किलोमीटर तक, जो भी कम हो, रु. 12/- प्रति किमी की दर से की जाएगी।
4. निकटतम रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड से प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल तक स्थानीय सड़क यात्रा के लिए शिक्षकों को सीसीआरटी नियम के अनुसार ऑटो/बस किराया का भुगतान किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि यदि टिकटों की मूल/फोटोकॉपी टी.ए. के साथ संलग्न हैं तो रेल/बस किराया सीसीआरटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगा। यात्रा के सभी बिल ऐसा न जमा करने पर दावा स्लीपर क्लास के रेल किराए तक ही सीमित रहेगा। हवाई किराया/तत्काल/प्लेक्सी किराया का कोई प्रावधान नहीं है और यदि शिक्षक इनमें से किसी भी माध्यम से यात्रा करते हैं, तो उनका दावा उनकी पात्रता के अनुसार सामान्य रेल किराया यानी एसी-3 टियर/एसी चेयर कार/स्लीपर क्लास तक ही सीमित रहेगा। मामला का निपटान यात्रा टिकटों की मूल/फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर हो सकता है।

नियमानुसार यात्रा में कोई भी ब्रेक स्वीकार्य नहीं है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक सीधी यात्रा टिकट खरीदें।

सीसीआरटी के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षक प्रतिभागियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सीसीआरटी सभी प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से मुफ्त आवास और बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करेगा।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के पश्चात् प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति आरटीजीएस/एनईएफटी/ईसीएस के माध्यम से अधिकृत बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए सीसीआरटी को सही खाता विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप में सही खाता विवरण भरें और राशि के हस्तांतरण के लिए अधिकृत बैंक को भेजे जाने वाले विवरण में किसी भी गलती से बचने के लिए रद्द किए गए चेक पत्ते की एक प्रति भी संलग्न करें।
- प्रतिभागी शिक्षकों को कोई भी महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं किया जाएगा।



### आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज

1. सीसीआरटी द्वारा भेजा गया आमंत्रण पत्र।
2. आपके DEOs/DDPIs/IOs/DDs/CEOs/CIoS द्वारा जारी आदेश की प्रति।
3. विद्यालय/संस्थान से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र (प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित)।
4. विद्यालय/संस्थान से मूल वेतन प्रमाणपत्र।
5. टिकट/टिकट नंबर (जाते समय की फोटो कॉपी और लौटते समय की मूल टिकट)। यात्रा के लिए हकदार श्रेणी की टिकट (कृपया इस पत्र के अनुबंध V को देखें) और सबसे छोटी दूरी वाले मार्ग से ही टिकट खरीदी जानी चाहिए।
6. शैक्षिक किट आपके विद्यालय को जारी करने के लिए आवश्यक सभी प्रमाणपत्र, जैसा कि अनुबंध III एवं IV में उल्लिखित है। ये प्रमाणपत्र विद्यालय/संस्थान के प्रमुख द्वारा सही ढंग से हस्ताक्षरित और उसी प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य हैं, जिसमें भाग लेने वाले शिक्षक को अधिकृत किया गया हो। ये प्रमाणपत्र CCRT की वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
7. पासपोर्ट आकार की दो नवीनतम फोटो के साथ स्वयं की मूल फोटो पहचान पत्र।
8. जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति।
9. पैन कार्ड की प्रति।
10. अपने शिक्षण विषय की एक तैयार 'पाठ योजना', जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
11. राज्य के सभी DEOs/DDPIs/IOs/DDs/CEOs/CIoS/BEO की सूची, उनके टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित।
12. अनुबंध VI और VII में उल्लिखित वस्तुएं, तथा अनुबंध II में उल्लिखित किसी एक विषय पर विस्तृत जानकारी, तस्वीरें, समाचार पत्र की कटिंग्स और लेख, और अनुबंध VII में उल्लिखित किसी एक विषय पर लेख।
13. प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफल पूर्णता के पश्चात यात्रा भत्ते प्रतिभागियों द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के अनुसार PFMS के माध्यम से अधिकृत बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, इसलिए CCRT को सही खाते का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। प्रतिभागी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे Annexure VI (A) में सही खाते का विवरण भरें और साथ में रद्द किया हुआ बैंक पर्ची/पासबुक के मुख पृष्ठ की फोटो कॉपी भी संलग्न करें।

अनुलग्नक-VI(A)



## सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र

(भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन)

नई दिल्ली - 110075

### पीएफएमएस हेतु बैंक विवरण फार्म

लाभार्थी /वेंडर का नाम	
पीएफएमएस वेंडर आईडी	
पैन नंबर	
पता	
पिन कोड	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	
बैंक खाता संख्या	



### अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज

कृपया निम्नलिखित सामग्री साथ लाएँ:

- आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय/विषयों की पाठ्यपुस्तकें।
- आपके ज़िले और राज्य के मानचित्र।
- आपके ज़िले के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी:
  - भौगोलिक विशेषताएँ
  - वनस्पति और जीव-जंतु
  - स्मारक
  - शिल्प
  - वहाँ के लोग, उनका धर्म और आजीविका
- आपके ज़िले में स्थित स्मारकों / संग्रहालयों / प्राकृतिक उद्यानों की जानकारी, चित्र आदि।
- आपके ज़िले एवं राज्य में प्रचलित हस्तशिल्प, तथा शिल्प केंद्रों की जानकारी (यदि संभव हो तो कृपया कुछ वस्तुएँ भी साथ लाएँ)।
- आपके राज्य के किसी एक आंचलिक रंगमंचीय स्वरूप की विस्तृत जानकारी।
- आपके राज्य का कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान (एक लेख रूप में)।
- आपके ज़िले/राज्य की पारंपरिक पोशाकें (यदि संभव हो तो कृपया एक पोशाक साथ लाएँ)।
- क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ गीत — जैसे जन्म, विवाह, कृषि ऋतुओं से संबंधित — उनके अर्थ सहित शिक्षा, जीवन, मूल्य आदि विषयों पर लेख/उद्धरण।
- भारतीय कला अथवा आपके पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित 75 से 100 प्रश्नों का एक तैयार क्विज़ कार्यक्रम।
- आपकी शिक्षण प्रक्रिया में अपनाई गई किसी नई पद्धति (New Methodology) पर 3 से 4 पृष्ठों का एक संक्षिप्त लेख, जिसमें उस पद्धति के प्रयोग और उसके प्राप्त परिणामों का विवरण हो।

नीचे उल्लिखित परियोजना शीर्षकों पर साथ लाई जाने वाली संसाधन सामग्री :

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - प्रोजेक्ट टाइटल से संबंधित पुस्तकें | - मुहावरे, पहेलियां, गाने, घटनाएं |
| - लेख, दस्तावेज                       | - जिन लोगों ने कुछ काम किया है    |
| - अखबार की कटिंग्स                    | - विषय पर गहन से अध्ययन में       |
| - तस्वीरें                            | - कार्ड और ग्रंथ सूची             |

परियोजनाओं के लिए कुछ शीर्षक

1. प्राचीन भारतीय शहर
2. बुद्ध का चित्रण एवं महापुरुष लक्षण (बुद्ध के चित्रण/मूर्तियों में देवत्व के लक्षण)
3. कला की सेवा में विज्ञान
4. कर्नाटक/हिंदुस्तानी संगीत के महत्वपूर्ण उदाहरण
5. जैन तीर्थंकर
6. प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में विदेशी आगंतुक
7. प्राचीन भारत की कला पुस्तकें
8. पूर्वोत्तर भारत में अल्प ज्ञात प्रदर्शन कला और उत्कृष्टता संस्थान
9. भारतीय परंपराओं में पेड़ की पूजा
10. भारतीय भोजन और व्यंजन
11. भारत में विवाह
12. स्वास्थ्य परंपराएं
13. समकालीन कला परिदृश्य
14. मूर्तियों में कहानियाँ
15. जम्मू और कश्मीर राज्य की कलाओं का प्रदर्शन

डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/01/2025

29 मई, 2025

प्रिय महोदय/महोदया,

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
( Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India )

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक **09 से 29 जुलाई, 2025** तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, 1-118/CCRT, सर्वे नं. 64, गूगल ऑफिस के पास, माधापुर, हैदराबाद – 500084, तेलंगाना, फोन: 040-23111910, 23117050, ईमेल: [rchyd.ccr@nic.in](mailto:rchyd.ccr@nic.in) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक **09 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे** सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर **तुरंत प्रेषित करें**। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को **उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें**। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: **011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)**।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि हैदराबाद से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 09 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/01/2025

29 मई, 2025

प्रिय महोदय/महोदया,

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 09 से 29 जुलाई, 2025 तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, 1-118/CCRT, सर्वे नं. 64, गूगल ऑफिस के पास, माधापुर, हैदराबाद – 500084, तेलंगाना, फोन: 040-23111910, 23117050, ईमेल: rchyd.ccrat@nic.in में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 09 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccratindia.gov.in](http://www.ccratindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि हैदराबाद से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : dir.ccrat@nic.in ; director.ccrat@nic.in, website : www.ccratindia.gov.in

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 09 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



## स्वीकृति फॉर्म

तत्काल

समयबद्ध

02 जुलाई, 2025 तक वापस भेजना अनिवार्य है।

टेलीफोन नंबर: (011) 25088638, एक्सटेंशन 323, 324, 325, 25309307

ई-मेल द्वारा प्रेषण: ddtrg.ccrtr@nic.in

या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें।

निदेशक

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)

प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर 7

द्वारका, नई दिल्ली 110075

विषय: 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' हैदराबाद में

महोदय,

मैं पत्र संख्या CCRT/13012/01/2025 दिनांक 29 मई, 2025 प्राप्त करने की पुष्टि करता/करती हूँ।

मैं सीसीआरटी के एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' जो 09 से 29 जुलाई 2025 तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में आयोजित होगा उसमें भाग लूंगा/नहीं लूंगा \*।मैं सीसीआरटी के छात्रावास में निवासरत में ठहरूंगा/नहीं ठहरूंगा \*\* ।मैंने पहले कहीं भी सीसीआरटी के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया/नहीं लिया \*\*\* है। मैं अपने साथ वे पाठ्यपुस्तकें लाऊंगा/लाऊंगी (जो मैं पढ़ रहा/रही हूँ), तैयार की हुई पाठ योजना जिसमें सांस्कृतिक तत्व शामिल हों, तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ लाऊंगा/लाऊंगी।

मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी भी दीर्घकालिक बीमारी/रोग से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(केवल जानकारी हेतु)	अध्यापक का नाम
प्रधानाचार्य का नाम .....	.....
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....	विद्यालय के सम्पूर्ण पत्राचार का पता
मोबाइल नंबर.....	.....
ईमेल आईडी .....	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश .....
	टेलीफोन नं. (विद्यालय).....
	टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....
	मोबाइल नंबर.....
	ईमेल आईडी .....

\*/\*/\*/\* उपर्युक्त बॉक्स में जो लागू न हो, उसे काट दें (क्रॉस का निशान लगाएं)।



डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/02/2025

29 मई, 2025

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 16 जुलाई से 02 अगस्त, 2025 तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, गाँव – हवाला खुर्द, बड़गाँव, उदयपुर, राजस्थान – 313011, फोन: 0294-2430764, ईमेल: [rcud.ccr@nic.in](mailto:rcud.ccr@nic.in) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 16 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि उदयपुर से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : [dir.ccr@nic.in](mailto:dir.ccr@nic.in) ; [director.ccr@nic.in](mailto:director.ccr@nic.in), website : [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 16 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ग्रहत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।

डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/02/2025

29 मई, 2025

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
( Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India )

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 16 जुलाई से 02 अगस्त, 2025 तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र, गाँव – हवाला खुर्द, बड़गाँव, उदयपुर, राजस्थान – 313011, फोन: 0294-2430764, ईमेल: [rcud.ccrtd@nic.in](mailto:rcud.ccrtd@nic.in) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 16 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrtdindia.gov.in](http://www.ccrtdindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि उदयपुर से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 16 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



## स्वीकृति फॉर्म

तत्काल

समयबद्ध

09 जुलाई, 2025 तक वापस भेजना अनिवार्य है।

टेलीफोन नंबर: (011) 25088638, एक्सटेंशन 323, 324, 325, 25309307

ई-मेल द्वारा प्रेषण: ddtrg.ccrtr@nic.in

या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें।

निदेशक महोदय

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)

प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर 7

द्वारका, नई दिल्ली 110075

विषय: 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' उदयपुर में

महोदय,

मैं पत्र संख्या CCRT/13012/02/2025 दिनांक 29 मई, 2025 प्राप्त करने की पुष्टि करता/करती हूँ।

मैं सीसीआरटी के 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' जो 16 जुलाई से 02 अगस्त, 2025 तक सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में आयोजित होगा उसमें भाग लूंगा/नहीं लूंगा \*।मैं सीसीआरटी के छात्रावास में निवासरत में ठहरूंगा/नहीं ठहरूंगा\*\* ।मैंने पहले कहीं भी सीसीआरटी के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया/नहीं लिया\*\*\* है। मैं अपने साथ वे पाठ्यपुस्तकें लाऊंगा/लाऊंगी (जो मैं पढ़ रहा/रही हूँ), तैयार की हुई पाठ योजना जिसमें सांस्कृतिक तत्व शामिल हों, तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ लाऊंगा/लाऊंगी।

मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी भी दीर्घकालिक बीमारी/रोग से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(केवल जानकारी हेतु)	अध्यापक का नाम
	विद्यालय के सम्पूर्ण पत्राचार का पता
	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश
	टेलीफोन नं. (विद्यालय)
	टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित)
	मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी	ईमेल आईडी

\*/\*\*/\*\*\* उपर्युक्त बॉक्स में जो लागू न हो, उसे काट दें (क्रॉस का निशान लगाएं)।

डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/03/2025

29 मई, 2025

प्रिय महोदय/महोदया,

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक **24 जुलाई से 13 अगस्त, 2025** तक श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजनबाड़ी, गुवाहाटी – 781037, असम, फोन: 0361-2335317, 0361-2330152, ईमेल: [rcgwt.ccrct@nic.in](mailto:rcgwt.ccrct@nic.in) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक **24 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे** श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजनबाड़ी, गुवाहाटी – 781037, असम में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर **तुरंत प्रेषित करें**। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को **उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें**। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrctindia.gov.in](http://www.ccrctindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, **पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए** आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: **011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)**।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि **गुवाहाटी से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें**। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग **डेढ़ घंटा** लग सकता है। इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones: 011-25309300, 25088637  
e-mail: [dir.ccrct@nic.in](mailto:dir.ccrct@nic.in); [director.ccrct@nic.in](mailto:director.ccrct@nic.in), website: [www.ccrctindia.gov.in](http://www.ccrctindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 24 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।

डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13012/03/2025

29 मई, 2025

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Centre for Cultural Resources and Training  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 24 जुलाई से 13 अगस्त, 2025 तक श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजनबाड़ी, गुवाहाटी – 781037, असम, फोन: 0361-2335317, 0361-2330152, ईमेल: [rcgwt.ccrct@nic.in](mailto:rcgwt.ccrct@nic.in) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 24 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजनबाड़ी, गुवाहाटी – 781037, असम में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- |               |  |
|---------------|--|
| परिशिष्ट-I    | अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम                     |
| परिशिष्ट-II   | कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)                                       |
| परिशिष्ट-III  | सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन                                      |
| परिशिष्ट-IV   | सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र |
| परिशिष्ट-V    | लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)                        |
| परिशिष्ट-VI   | अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज                                    |
| परिशिष्ट-VII  | भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज                        |
| परिशिष्ट-VIII | स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)  |

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrctindia.gov.in](http://www.ccrctindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें – दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि गुवाहाटी से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है। इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : [dir.ccrct@nic.in](mailto:dir.ccrct@nic.in) ; [director.ccrct@nic.in](mailto:director.ccrct@nic.in), website : [www.ccrctindia.gov.in](http://www.ccrctindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 24 जुलाई, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।



(डॉ. राहुल कुमार)

ग्रहत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



## स्वीकृति फॉर्म

तत्काल

समयबद्ध

17 जुलाई, 2025 तक वापस भेजना अनिवार्य है।

टेलीफोन: (011) 25088638, एक्सटेंशन 323, 324, 325, 25309307

ई-मेल द्वारा प्रेषण: ddtrg.ccrt@nic.in

या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें।

निदेशक महोदय  
सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)  
प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर 7  
द्वारका, नई दिल्ली 110075

विषय: 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' गुवाहाटी में

महोदय,

मैं पत्र संख्या CCRT/13012/03/2025 दिनांक 29 मई, 2025 प्राप्त करने की पुष्टि करता /करती हूँ ।

मैं सीसीआरटी के एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' 24 जुलाई से 13 अगस्त, 2025 तक गुवाहाटी में जो आयोजित होगा उसमें भाग लूंगा/नहीं लूंगा \*।

मैं सीसीआरटी के छात्रावास में निवासरत में ठहरूंगा/नहीं ठहरूंगा\*\* ।

मैंने पहले कहीं भी सीसीआरटी के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया/नहीं लिया \*\*\* है। मैं अपने साथ वे पाठ्यपुस्तकें लाऊंगा/लाऊंगी (जो मैं पढ़ा रहा/रही हूँ), तैयार की हुई पाठ योजना जिसमें सांस्कृतिक तत्व शामिल हों, था अनुय आवश्यक सामग्री भी साथ लाऊंगा/लाऊंगी।

मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी भी दीर्घकालिक बीमारी/रोग से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(केवल जानकारी हेतु)	अध्यापक का नाम
प्रधानाचार्य का नाम .....	विद्यालय के सम्पूर्ण पत्राचार का पता
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....	.....
मोबाइल नंबर.....	.....
ईमेल आईडी .....	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश .....
	टेलीफोन नं. (विद्यालय).....
	टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....
	मोबाइल नंबर.....
	ईमेल आईडी .....

\*/\*\*/\*\*\* उपर्युक्त बॉक्स में जो लागू न हो, उसे काट दें (क्रॉस का निशान लगाएं)।



डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13011/03/2025

29 मई, 2025

**सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र**  
**Centre for Cultural Resources and Training**  
(Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India)

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 12 अगस्त से 02 सितम्बर, 2025 तक सीसीआरटी मुख्यालय, प्लॉट नं. 15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (दूरभाष: 011-25088638/एक्सटेंशन: 323/325, ईमेल: [ddtrg.ccrtr@nic.in](mailto:ddtrg.ccrtr@nic.in)) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 12 अगस्त, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी मुख्यालय में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

- परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम
- परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूल्स)
- परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन
- परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र
- परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)
- परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़
- परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें - दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones : 011-25309300, 25088637  
e-mail : [dir.ccrtr@nic.in](mailto:dir.ccrtr@nic.in) ; [director.ccrtr@nic.in](mailto:director.ccrtr@nic.in), website : [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।  
इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय



(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccr@nic.in](mailto:ddtrg.ccr@nic.in)

संलग्न: यथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 12 अगस्त, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



डॉ. राहुल कुमार

उप निदेशक (प्रशिक्षण)

दूरभाष संख्या: (011)25309307 (कार्यालय)

सीसीआरटी/13011/03/2025

29 मई, 2025

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Centre for Cultural Resources and Training

( Under the aegis of Ministry of Culture, Govt. of India )

प्रिय महोदय/महोदया,

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है। सीसीआरटी देश में "शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने" के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख संस्थाओं में से एक है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप 'नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, जो दिनांक 12 अगस्त से 02 सितम्बर, 2025 तक सीसीआरटी मुख्यालय, प्लॉट नं. 15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (दूरभाष: 011-25088638/एक्सटेंशन: 323/325, ईमेल: [ddtrg.ccrtr@nic.in](mailto:ddtrg.ccrtr@nic.in)) में आयोजित किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 12 अगस्त, 2025 को प्रातः 09:00 बजे सीसीआरटी मुख्यालय में पंजीकरण हेतु उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही सीसीआरटी द्वारा यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण के समय इस पत्र को दिखाना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं सीसीआरटी द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं से आपको अवगत कराने हेतु निम्नलिखित परिशिष्ट संलग्न किए गए हैं:

परिशिष्ट-I अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने की शर्तें और नियम

परिशिष्ट-II कार्यक्रम की रूपरेखा (मॉड्यूलस)

परिशिष्ट-III सांस्कृतिक शैक्षिक किट और प्रकाशन

परिशिष्ट-IV सांस्कृतिक शैक्षिक किट एवं प्रकाशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रमाणपत्र

परिशिष्ट-V लॉजिस्टिक्स (आवास, भोजन, यात्रा आदि की जानकारी)

परिशिष्ट-VI अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़

परिशिष्ट-VII भागीदारी के दौरान आवश्यक सहायक सामग्री/दस्तावेज़

परिशिष्ट-VIII स्वीकृति पत्र (Acceptance Form)

कृपया संलग्न स्वीकृति पत्र (परिशिष्ट-VIII) भरकर तुरंत प्रेषित करें। यदि आपकी ओर से अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भागीदारी के संबंध में परिशिष्ट-VIII में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, एवं आपके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक के प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी के पास डॉर्मिटरी आधारित आवास और भोजन की व्यवस्था जैसी सीमित आधारभूत सुविधाएं हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने प्रतिनिधि/शिक्षक को उपर्युक्त तिथि के अनुसार यथाशीघ्र भेजें। केवल उन्हीं प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विचार किया जाएगा जिनके नाम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकित किए जाएंगे। ऐसे प्रतिभागियों की सूची सीसीआरटी की वेबसाइट [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

इसलिए, पंजीकरण रद्द होने और सूची में नाम न होने की स्थिति में अंतिम समय की परेशानी और अनावश्यक कठिनाई से बचने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप सीसीआरटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें और किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण हेतु सीसीआरटी के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क करें - दूरभाष संख्या: 011-25088638 (एक्सटेंशन: 323, 324, 325)।

चूंकि रेलवे टिकट बुकिंग के लिए हमेशा भारी भीड़ रहती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि नई दिल्ली से अपने संबंधित मुख्यालय के लिए वापसी यात्रा का टिकट अग्रिम रूप से बुक कर लें। आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन सीसीआरटी से सायं 5:00 बजे तक कार्यमुक्त कर दिया जाएगा, और प्रायः सीसीआरटी परिसर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग डेढ़ घंटा लग सकता है, इसलिए, यदि आपकी ट्रेन कार्यक्रम के अंतिम दिन दोपहर या शाम को रवाना होती है, तो कृपया उस दिन के लिए वापसी टिकट न बुक करें। हालांकि, यदि आपकी ट्रेन रात को रवाना होती है, तो आप अपनी वापसी टिकट कार्यक्रम के अंतिम दिन के लिए बुक कर सकते हैं।

15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 भारत दूरभाष: 011-25309300, 25088637  
15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 INDIA Phones: 011-25309300, 25088637  
e-mail: [dir.ccrtr@nic.in](mailto:dir.ccrtr@nic.in); [director.ccrtr@nic.in](mailto:director.ccrtr@nic.in), website: [www.ccrtrindia.gov.in](http://www.ccrtrindia.gov.in)

इस कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत है।

इस कार्यालय में हर दिन भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं का दिन है।

:2:

सीसीआरटी द्वारा प्रतिभागियों के लिए डॉर्मिटरी प्रकार की आवास व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से एक दिन पूर्व से उपलब्ध है। सीसीआरटी छात्रावास में भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्ववर्ती दिन का रात्रि भोज भी शामिल है।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आप और आपके विद्यार्थियों के लिए सौंदर्यात्मक अनुभवों के नए मार्ग खोलेगा। साथ ही, आपसे अनुरोध है कि अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लेने से पूर्व हमारी वेबसाइट [www.ccertindia.gov.in](http://www.ccertindia.gov.in) अवश्य देखें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर,

भवदीय

-ह०-

(डॉ. राहुल कुमार)

ई-मेल – [ddtrg.ccert@nic.in](mailto:ddtrg.ccert@nic.in)

संलग्न: ग्रथोपरि/ यथा उल्लिखित

प्रतिलिपि: संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य कृपया ध्यान दें:

- अनुस्थापन पाठ्यक्रम के प्रारंभ के बाद, अर्थात् 12 अगस्त, 2025 के बाद रिपोर्ट करने वाले शिक्षक को पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बिना यात्रा भत्ता (TA) के भुगतान के बिना ही तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ठेका/अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत शिक्षक को नहीं भेजा जाए।
- सीसीआरटी की शैक्षिक किट प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट III, IV और VI में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को प्रतिभागी शिक्षक के साथ भेजना अनिवार्य है। नियुक्त शिक्षक को नवीनतम पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें तथा कोई एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।
- राज्य शिक्षा विभाग के निदेशक को उन्हें समय पर कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ उनके चयन की सूचना भी दी जा चुकी है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं डालती है, बल्कि उन्हें निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने का लाभ होता है।
- शिक्षक को अपनी पढ़ाई के विषय का ऐसा तैयार पाठ योजना लेकर आना होगा जिसमें सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित हों।
- इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति विद्यालय केवल एक ही शिक्षक को भेजा जाना चाहिए।



(डॉ. राहुल कुमार)

महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि यदि आपने पहले ही दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर सीसीआरटी द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो आपको इस अनुस्थापन पाठ्यक्रम में उपस्थित नहीं होना चाहिए।



## स्वीकृति फॉर्म

तत्काल

समयबद्ध

05 अगस्त, 2025 तक वापस भेजना अनिवार्य है।

टेलीफोन नंबर: (011) 25088638, एक्सटेंशन 323, 324, 325, 25309307

ई-मेल द्वारा प्रेषण: ddtrg.ccrt@nic.in

या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें।

निदेशक

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (CCRT)

प्लॉट नंबर 15A, सेक्टर 7

द्वारका, नई दिल्ली 110075

विषय: 'एनईपी 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' नई दिल्ली में

महोदय,

मैं पत्र संख्या CCRT/13011/03/2025 दिनांक 29 मई, 2025 प्राप्त करने की पुष्टि करता/करती हूँ

मैं सीसीआरटी के एनईपी '2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम' जो 12 अगस्त से 02 सितम्बर, 2025 तक नई दिल्ली के सीसीआरटी परिसर में आयोजित होगा उसमें भाग लूंगा/नहीं लूंगा \*।मैं सीसीआरटी के छात्रावास में निवासरत में ठहरूंगा/नहीं ठहरूंगा\*\* ।मैंने पहले कहीं भी सीसीआरटी के अनुस्थापन पाठ्यक्रम में भाग लिया/नहीं लिया\*\*\* है। मैं अपने साथ वे पाठ्यपुस्तकें लाऊंगा/लाऊंगी (जो मैं पढ़ रहा/रही हूँ), तैयार की हुई पाठ योजना जिसमें सांस्कृतिक तत्व शामिल हों, तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी साथ लाऊंगा/लाऊंगी।

मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी भी दीर्घकालिक बीमारी/रोग से पीड़ित नहीं हूँ, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सक्षम हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

(केवल जानकारी हेतु)	अध्यापक का नाम
प्रधानाचार्य का नाम .....	.....
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....	विद्यालय के सम्पूर्ण पत्राचार का पता
मोबाइल नंबर.....	.....
ईमेल आईडी .....	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश .....
	टेलीफोन नं. (विद्यालय).....
	टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड सहित) .....
	मोबाइल नंबर.....
	ईमेल आईडी .....

\*/\*\*/\*\*\* उपर्युक्त बॉक्स में जो लागू न हो, उसे काट दें (क्रॉस का निशान लगाएं)।